

## भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर

सम्पदा कार्यालय (कक्ष सं० 101 डी, संकाय भवन) फोन नं० 0512-259-7166, 7327

नीलामी सूचना संख्या- 09/2021-22

साईकिल/स्कूटर स्टैण्ड को ठेके पर चलाने हेतु निविदा

दिनांक 5.10.2021

निदेशक, भा०प्रौ०सं० कानपुर की ओर से संस्थान परिसर के मुख्य द्वार, रेलवे कासिंग के समीप स्थित साईकिल/स्कूटर स्टैण्ड को ठेके पर चलाने हेतु मुहरबंद निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं।

इच्छुक व्यक्ति पूर्ण रूप से भरी हुई निविदा संस्थान के सम्पदा कार्यालय में दिनांक 29.10.2021 को अपराहन 4:00 बजे तक जमा कर सकते हैं। इसके उपरांत प्राप्त की गई निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा।

प्राप्त निविदाओं को खोलने की तिथि, समय व स्थान की घोषणा बोलीदाता को अलग से सूचित की जाएगी।

निविदा प्रपत्र संस्थान की वैबसाइट [www.iitk.ac.in/estateoffice/tender](http://www.iitk.ac.in/estateoffice/tender) से डाउनलोड किया जा सकता है।

प्रतिलिपि:

1. डीन, प्रशासन
2. सूचना पट्ट
3. वैबसाइट

सहायक कुलसचिव एवं  
प्रभारी अधिकारी (सम्पदा कार्यालय)

.....  
निविदादाता के हस्ताक्षर

### पात्रता सम्बन्धी शर्तः-

1. निविदाकार पिछले तीन वर्षों से इस प्रकार के ठेके का कार्य करता हो।
2. निविदादाता की वित्तीय स्थिति बेहतर होनी चाहिए।

### निविदा सम्बन्धित अनिवार्य संलग्नकः

बोली लगाने वाले व्यक्ति को निविदा प्रपत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति संलग्न करनी होगी। उल्लिखित दस्तावेजों के बिना कोई निविदा जमा की जाती है तो उसे सीधे निरस्त किया जा सकता है।

1. अपेक्षित अनुभव प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि।
2. आवेदक का आधार कार्ड/जी.एस.टी. पंजीकरण प्रमाण पत्र/पैन नम्बर/ पिछले तीन वर्ष का आयकर प्रमाण पत्र।
3. अंकेक्षित तुलन पत्र के साथ-साथ पिछले तीन वर्षों के कुल कारोबार एवं लाभ/हानि सहित लाभ एवं हानि खाता का प्रमाण पत्र
4. नवीनतम बैंक सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट/पिछले एक साल का बैंक स्टेटमेंट।
5. वस्तुओं/सेवाओं की सूची।
6. बोलीदाता का विवरण।
7. आवश्यक समझे जाने वाले अन्य दस्तावेज जो निविदा दस्तावेज प्रावधानों के तहत अनिवार्य हों तथा जिनका उल्लेख ऊपर न किया गया हो।

### नीलामी की नियम व शर्तें

1. निविदा में भाग लेने के इच्छुक निविदादाता, निविदा प्रपत्र के साथ रू0 10000/- (रूपये दस हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट 'रजिस्ट्रार, आई0आई0टी0 कानपुर' के नाम बयाने के रूप में संलग्न करना अनिवार्य है। जो भी निविदादाता रू0 10000/- का बैंक ड्राफ्ट बयाने की राशि के रूप में संलग्न नहीं करेगा उसकी निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
2. निविदा स्वीकृत की सूचना जारी होने के एक सप्ताह के अन्दर सफल निविदाकर्ता को तत्सम्बन्ध में संस्थान के साथ विधिवत प्रतिभूति राशि जमा करके एक समझौता हस्ताक्षरित करना होगा। ऐसा न करने की दशा में सफल निविदाकर्ता की बयाना धनराशि जब्त कर ली जायेगी। समझौते हेतु सफल निविदाकर्ता को स्वयं के खर्चे पर एवं अपने नाम का रू0 100/- का एक गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर सम्पदा कार्यालय में जमा करना होगा।
3. यह लाइसेंस अनुबन्ध में हस्ताक्षर होने की तिथि से प्रारम्भ में तीन साल के लिए होगी। पहले तीन महीनें परिवीक्षा की अवधि होगी और परिवीक्षा अवधि के संतोषजनक पूरा होने पर, अनुबंध को स्वचालित रूप से शेष अवधि के लिए बढ़ाया जाएगा, अर्थात् अगले नौ महीने व दो वर्ष। इसके बाद, पिछले साल के प्रदर्शन के आधार पर अनुबंध को दो और साल के लिये बढ़ाया जाएगा (एक बार में एक वर्ष)। किसी भी परिस्थिति में अनुबंध पांच साल से अधिक के लिए नहीं बढ़ाया जाएगा।

.....  
निविदादाता के हस्ताक्षर

4. निविदा के लिये न्यूनतम मानक धनराशि रू0 72,000/- (रूपये बहत्तर हजार मात्र) वार्षिक है। अतः निविदा प्रतिस्पर्धात्मक होनी चाहिये एवं उक्त न्यूनतम मानक धनराशि से सम्यक रूप से उच्चतर दरों पर दी जानी चाहिये। ऐसा न होने की स्थिति में सम्बन्धित निविदा पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया जायेगा।
5. निविदाकर्ता को निविदा के साथ ऊपर लिखे हुए संलग्नकों के अतिरिक्त निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत करना अनिवार्य है:-
  - क. आवेदन प्रपत्र परिशिष्ट-1
  - ख. बयाना धनराशि का बैंक ड्राफ्ट
  - ग. एक स्वहस्ताक्षरित फोटो जो नियत स्थान पर पेस्ट होना चाहिये।
6. संलग्नकों सहित निविदा प्रपत्र का प्रत्येक पृष्ठ निविदाकर्ता अथवा उसके सक्षम प्रतिनिधि द्वारा सील के साथ हस्ताक्षरित होना चाहिये तथा कहीं कोई कटिंग नहीं होनी चाहिये। यदि किसी कारणवश कटिंग अनिवार्य हो, तो उसका प्रतिहस्ताक्षरित होना अभीष्ट है।
7. संस्थान के पास निविदा/निविदाओं को बिना किसी कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत/निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है तथा इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की क्षति के लिये संस्थान किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं होगा और ना ही इस सम्बन्ध में कोई पत्राचार किया जायेगा।
8. निविदाकर्ता के द्वारा निविदा स्वीकृति के पश्चात् सम्पूर्ण धनराशि एक सप्ताह के अन्दर जमा करनी होगी तथा अनुबन्ध में हस्ताक्षर करना होगा।
9. लाइसेंसधारक को **FDR** के माध्यम से, प्रतिभूति राशि जमा करनी होगी जो कि 'कुलसचिव भारतीय प्रौद्योगिकी कानपुर' के पक्ष में होनी चाहिए तथा कानपुर स्थित भारतीय स्टेट बैंक/भारतीय यूनियन बैंक या किसी अन्य अनुसूचित राष्ट्रीयकृत बैंक में देय हो। उक्त **FDR** की वैधता अनुबन्ध अवधि पूर्ण होने के पश्चात् 03 महीने की अवधि के लिए होनी चाहिए।
10. यदि किसी भी समय तथा किसी भी कारण से (जिसका कि पूर्व के अनुच्छेदों अथवा कहीं और पर उल्लेख किया गया हो) जमा प्रतिभूति राशि में कोई कमी आती है तो लाइसेंसधारक को इस संबंध में नोटिस प्राप्त होने के पन्द्रह दिनों के अन्दर एक अन्य **FDR** जमा करके इस कमी को पूरा करना होगा।
11. स्टैण्ड में साइकिल तथा स्कूटर/मोटर साइकिल के लिये चार्ज की दरें संस्थान द्वारा नियमित दरों के अनुरूप रहेंगी तथा उनसे भिन्न दरें चार्ज करने पर ठेकेदार के विरुद्ध संस्थान अर्थदण्ड सहित अन्य कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र होगा। इस सम्बन्ध में यदि तीन से अधिक गम्भीर शिकायतें प्राप्त होती हैं तो ठेके को संस्थान के विवेकानुसार निरस्त किया जा सकता है।
12. स्टैण्ड का ठेका किसी भी रूप में अथवा उसका कोई भी अंश अहस्तातंरणीय है तथा स्टैण्ड में वाहनों/साइकिलों को खड़ा करने के अतिरिक्त अन्य कोई व्यवसाय अनुमन्य नहीं है। इसका उल्लंघन पाये जाने पर ठेका बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा।

.....  
निविदादाता के हस्ताक्षर


13. स्टैण्ड पर कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों का प्रवेशपत्र सम्पदा कार्यालय से बनवाना अनिवार्य होगा तथा सभी कर्मचारी अपना प्रवेशपत्र संस्थान के अधिकारियों/सुरक्षाकर्मियों द्वारा माँगे जाने पर प्रस्तुत करेंगे। कार्य में लगाये गये व्यक्तियों के अतिरिक्त अन्य किसी भी व्यक्ति को स्टैण्ड में ठहरने की अनुमति नहीं होगी। इन शर्तों का उल्लंघन पाये जाने की स्थिति में अथवा संस्थान के सुरक्षा विभाग से इस आशय की शिकायत मिलने पर ठेका निरस्त किया जा सकता है।
14. अनुज्ञापी/ठेकेदार को उक्त स्टैण्ड को संचालित करने में यदि किसी प्रकार की कोई हानि होती है तो उसकी जिम्मेदारी संस्थान की नहीं वरन् स्वयं अनुज्ञापी/ठेकेदार की होगी।
15. यह अनुबन्ध/ठेका लाइसेंस के अधीन होगा तथा निविदाकर्ता को संज्ञान दिया जाता है कि साईकिल तथा स्कूटर/मोटर साईकिल स्टैण्ड सहित संस्थान परिसर की सभी परसम्पत्तियां सार्वजनिक परिसर (अनाधिकृत व्यवसायों की बेदखली अधिनियम), 1971 के उपबन्धों से आवृत्त है।
16. निविदा की शर्तों/शब्दार्थ में मतान्तर होने की स्थिति में उसका स्पष्टीकरण देने के लिये सक्षम प्राधिकारी प्रभारी अधिकारी सम्पदा कार्यालय होंगे जिनका स्पष्टीकरण अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।
17. ठेकेदार अपने कर्मचारियों, उनकी सेवाशर्तों, उनके विनियोजन आदि के लिये स्वयं एवं अन्तिम रूप से उत्तरदायी होगा तथा संस्थान का ऐसे प्रकरणों से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं रहेगा। यदि किन्हीं परिस्थितियोंवश ठेकेदार के कर्मचारियों अथवा ठेके से सम्बन्धित किसी भी मामले पर संस्थान को किसी प्रकार का कोई अर्थदण्ड या अन्य दायित्व वहन करने की स्थिति आती है जिसके लिये अन्यथा ठेकेदार उत्तरदायी है, तो इस प्रकार के समस्त अर्थदण्ड तथा आर्थिक अधिभार उसे संस्थान में जमा करना होगा अन्यथा कि स्थिति में उनकी वसूली ठेकेदार की धरोहर राशि से की जायेगी। पुनः यदि किसी स्थिति वश धरोहर राशि में कटौती के कारण धरोहर राशि में कमी आ जाती है तो ऐसी कम हुई धनराशि या अन्तर की धनराशि ठेकेदार संस्थान से सूचना मिलने के एक सप्ताह के भीतर संस्थान के निर्देशानुसार जमा करेगा एवं कम हुई धरोहर राशि की प्रतिपूर्ति करेगा।
18. ठेकेदार का यह दायित्व है कि उनसे सभी कर्मचारी संस्थान के सक्षम प्राधिकारियों/सुरक्षाकर्मियों के निर्देशों, संस्थान के अनुशासन का अनुपालन करें तथा वह मितभाषी व मृदुव्यवहार करें। संस्थान प्रशासनिक कारणोंवश किसी भी कर्मचारी का संस्थान परिसर में प्रवेश अथवा नियोजन निषिद्ध कर सकता है जिसका परिपालन करने के लिये ठेकेदार बाध्य होगा।
19. स्टैण्ड के ठेके से सम्बन्धित अनुबन्ध के बारे में किसी भी विवाद की स्थिति में मध्यस्थ/पंचनिर्णायक की नियुक्ति का अधिकार संस्थान के उपनिदेशक या उनके द्वारा नामित अधिकारी को होगा तथा मध्यस्थता की सुनवाई का स्थल संस्थान परिसर होगा। मध्यस्थता की प्रक्रिया इस सम्बन्ध में लागू विधि विहित व्यवस्था के अनुरूप की जायेगी।

.....  
निविदादाता के हस्ताक्षर

20. स्टैण्ड के ठेके तथा अनुबन्ध के बारे में निर्णय का न्यायिक प्राधिकार जनपद कानपुर नगर के न्यायालय का ही होगा।
21. स्टैण्ड में रखी जाने वाली साईकिल तथा स्कूटर/मोटर साईकिल आदि के लिये ठेकेदार अथवा उसके कर्मचारी क्रमांक के साथ अंकित छपी रसीद स्वयं के खर्च से जिसमें साईकिल तथा स्कूटर/मोटर साईकिल की दरें स्पष्टतया अंकित हो, अनिवार्य रूप से जारी करेंगे तथा इस रसीद के आधार पर ही वाहनों को जमा किया जायेगा अथवा छोड़ा जायेगा।
22. स्टैण्ड से यदि कोई साईकिल तथा स्कूटर/मोटर साईकिल चोरी या गायब होती है, तो उसकी अदायगी का दायित्व ठेकेदार का होगा तथा संस्थान का उससे कोई वास्ता नहीं होगा। स्टैण्ड में किसी भी प्रकार की अन्य गड़बड़ी चाहे वह स्वयं ठेकेदार द्वारा, उसके अधीन कर्मचारियों द्वारा अथवा किन्हीं अन्य कारणों से हुई हो, के लिये ठेकेदार ही अन्तिम रूप से जिम्मेदार होगा।
23. स्टैण्ड सप्ताह के सातों दिन तथा दिन के चौबीस घण्टे कार्यरत रहेगा जिसके सुचालन का दायित्व ठेकेदार का होगा। इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की शिथिलता अथवा बहाना स्वीकार्य नहीं होगा। ठेकावली बिना व्यवधान के अनवरत रूप से ठेकेदार द्वारा संचालित किया जायेगा बशर्ते स्थितियां उभयपक्षों के नियंत्रण से परे (**Force Majeure**) की न हो।
24. अनुज्ञप्ति के तहत ठेकेदार के अधीन केवल भा0प्रौ0सं0 कानपुर के मुख्य द्वार के समीपस्थ स्टैण्ड परिसर ही आवृत्त होगा तथा उसकी सीमा से परे स्थान को स्टैण्ड के रूप में कदापि प्रयुक्त नहीं किया जायेगा।

मैंने उपरोक्त निविदा की सभी नियम एवं शर्तें पढ़ ली हैं तथा यह सभी मुझे पूर्णतया मान्य है इस नीलामी के सम्बन्ध में संस्थान निदेशक का निर्णय सभी निविदादाताओं को समान रूप से मान्य होगा।

निविदा देने की तारीख: .....



.....  
 निविदादाता के हस्ताक्षर  
 निविदादाता का पूरा नाम व पता  
 (पिन कोड एवं फोन/मोबाइल नं० सहित)  
 .....  
 .....

.....  
 निविदादाता के हस्ताक्षर

सेवा में,  
सहायक कुलसचिव व  
प्रभारी अधिकारी, सम्पदा कार्यालय  
भा0प्रौ0सं0 कानपुर

नवीन  
पासपोर्ट  
साइज  
फोटो

विषय- संस्थान परिसर के मुख्य द्वार, रेलवे कासिंग के समीप स्थित साईकिल/स्कूटर स्टैण्ड को ठेके पर चलाने का हेतु निविदा।

महोदय,  
मैं नीलामी सूचना संख्या .....09/2021-22 दिनांक .....5.10.2021 के सम्बन्ध में अपनी निविदा आपके विचारार्थ प्रस्तुत करता हूँ।

निविदादाता का नाम .....  
पिता का नाम .....  
आयु .....  
पूरा पता .....

क्या आपने रू0 10,000/- का बैंक ड्राफ्ट बयाने की राशि के रूप में हॉ/नहीं  
इस निविदा के साथ संलग्न किया है?

यदि हॉ तो ड्राफ्ट सं0 ..... दिनांक ..... एवं बैंक का नाम .....

निविदाकर्ता संस्थान द्वारा नियत दरों पर जो वर्तमान में निम्नवत् है तथा समय-समय पर परिवर्तित हों सकती हैं, प्रदान करने के लिये तत्पर है।

उपयोगकर्ताओं की श्रेणी	अवधि	दरें	
		साईकिल	स्कूटर/मोटर साईकिल
संस्थान के आईडी कार्ड सहित (संकाय, छात्र, कर्मचारी एवं उनके आश्रित)	24 घंटे	₹ 05/-	₹ 10/-
	पखवाड़ा (15 दिन)	₹ 60/-	₹ 120/-
	15 दिनों के बाद अतिरिक्त शुल्क प्रति दिन	₹ 08/-	₹ 15/-
संस्थान के आईडी कार्ड के बिना/अन्य	24 घंटे	₹ 10/-	₹ 20/-
	पखवाड़ा (15 दिन)	₹ 120/-	₹ 240/-
	15 दिनों के बाद अतिरिक्त शुल्क प्रति दिन	₹ 15/-	₹ 25/-

साईकिल तथा स्कूटर/मोटरसाईकिल स्टैण्ड के लिये मेरी वार्षिक निविदा राशि निम्नवत् रहेगी:-

रू0 .....

शब्दों में रूपया .....

निविदादाता के हस्ताक्षर .....

निविदादाता का नाम .....

टेलीफोन/मोबाइल नं0 .....

.....  
निविदादाता के हस्ताक्षर